06.05.2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अवतार सिंह उप्पल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्तागण श्री पी.एस.सोनी व श्री गणेशीलाल अग्रवाल उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 29.04.2026 को पेश कर निवेदन किया है कि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या–1 जो कि वादी बैंक में केशियर के पद पर कार्यरत होकर दिनांक 11.07.2008 को बीस लाख रूपये का गबन करने के अभिकथन करते हुए वसूली का वाद पेश किया गया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध भी वसूली का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या–2 दिनांक 11.07.2008 व दिनांक 12.07.2008 को अवकाश पर था। प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या–2 की अनुपस्थिति में उक्त राशि का गबन किया है, जिसका ज्ञान माह अगस्त में प्रतिवादी संख्या–2 को होने पर उक्त की जानकारी बैंक के अधिकारियों को दी जाकर उनकी आज्ञा से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है। वादी बैंक के गवाह पी.डब्ल्यू 1 द्वारा इस बाबत जानबूझकर साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.07.2008 व दिनांक 12.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 अवकाश पर नहीं होकर इसका रेकार्ड बैंक में उपलब्ध होगा। प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा आवेदन आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर वादी बैंक से उक्त दिनांकों से संबंधित कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर को तलब करने हेतु प्रस्तुत करने पर वादी बैंक द्वारा यह कथन किया गया कि 12 वर्ष बाद वादी बैंक द्वारा रिकार्ड नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए वांछित दस्तावेज पेश करने में असमर्थ है, के आधार पर प्रतिवादी संख्या–2 का आवेदन न्यायालय में दिनांक 15.04.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। वादी बैंक ने प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध जो एफ.आई.आर. की थी, उसका आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, उसमें वादी बैंक ने अपनी सील मोहर व हस्ताक्षरों से माह जुलाई, 2008 व अगस्त, 2008 के उपस्थिति रजिस्टर की फोटो प्रति पेश की, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रतिवादी संख्या–2 ने न्यायालय से प्राप्त की है, जो इस वाद का एक सुसंगत दस्तावेज हैं जिसमें दिनांक 11.07.2008 व दिनांक 12.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 के अवकाश पर होने का इन्द्राज है। उक्त दस्तावेज वाद के तथ्यों से सुसंगत दस्तावेज होकर वादी बैंक का ही दस्तावेज है, जिसे रेकार्ड पर लिये जाने से वाद का न्यायोचित न्याय निर्णयन किये जाने में सहायता प्राप्त होगी। अतः उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने का कथन किया। अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रतिवादी संख्या–2 ने शपथ पत्र पेश किया।

उक्त प्रार्थना–पत्र का वादी बैंक की ओर से कोई जवाब पेश न कर सीधे मौखिक बहस का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उन्होंने हस्तगत वाद में दो दस्तावेज दिनांक 11.07.2008 व दिनांक 12.07.2008 जो कि वादी बैंक के कर्मचारियों के उपस्थिति बाबत है, की सत्यापित प्रतिलिपि (अन्य न्यायालय में पेश की), जहां से प्राप्त कर पेश की है। उक्त दस्तावेज न्यायालय से सत्यापित प्रतिलिपि है, जिसकी विश्वसनीयता पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। उक्त दस्तावेज वाद के निस्तारण हेतु सुसंगत हैं, जिनसे जाहिर होता है कि उक्त दिनांकों को प्रतिवादी संख्या–2 वादी बैंक में अवकाश पर था, की पुष्टि होती है। दस्तावेज वाद के न्यायोचित न्याय निर्णयन हेतु सुसंगत है, जिन्हें रेकार्ड पर लेने से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होने का कथन करते हुए उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी बैंक की ओर से निवेदन किया गया कि उक्त दस्तावेज किसी फोटो प्रति की सत्यापित प्रति है, जो कि प्रतिवादी ने कहीं से प्राप्त कर ली है। उक्त प्रति प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से वैध रूप से प्राप्त नहीं की गई है। उनका निवेदन है कि उक्त दस्तावेज वाद के निस्तारण हेतु सुसंगत नहीं है। हस्तगत वाद का मुख्य विचारणीय बिन्दु यह नहीं है कि प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा दिनांक 11.07.2008 व दिनांक 12.07.2008 को गबन किया गया अथवा नहीं, बल्कि वास्तव में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा विभिन्न तिथियों को लगातार अनेकों बार गबन किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 11.07.2008 व दिनांक 12.07.2008 को प्रतिवादी संख्या–2 की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का कोई विशेष महत्व नहीं है। अंत में उन्होंने प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या–2 वादी बैंक के यहां शाखा ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा दिनांक 11.07.2008 व दिनांक 12.07.2008 को वादी बैंक का उपस्थिति रजिस्टर पेश किया गया है, जिसमें उक्त दोनों तिथियों को वह अनुपस्थित था। हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या–2 उक्त तिथियों को अनुपस्थिति था, यह अवश्य ही वाद में विचारणीय सुसंगत बिन्दु है से इनंकार नहीं किया जा सकता है। गबन किन–किन तारीखों को किया गया, इस संबंध में न्यायालय को इस स्तर पर विचार नहीं किया जाना है, इस संबंध में उभय पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य पेश किये जाने के पश्चात

अंतिम निर्णय के समय विचार किया जाएगा। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस संबंध में बचाव पेश करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा। अतः प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी संख्या–2 दिनांक 12.05.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर